माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा–1/दिस. 2020–21/ 1080 भोपाल, दिनांक 21/02/2021

प्रति,

विभागाध्यक्ष/प्रभारी, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग
संचालक/प्रभारी, संबद्ध अध्ययन संस्थाऐं

विषय : कोविड–19 के परिपेक्ष्य में परीक्षा सत्र दिसम्बर 2020 – जनवरी 2021 की स्नातक/स्नातकोत्तर अंतिम सेमेस्टर की ओपन बुक प्रणाली से आयोजित परीक्षा के उत्तरपुस्तिका संग्रहण केन्द्रों के लिए दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय परीक्षा संचालन समिति की समय–समय पर आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयानुसार **परीक्षा सत्र दिसम्बर 2020 – जनवरी 2021** के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के **अंतिम सेमेस्टर** की समस्त **सैद्धांतिक परीक्षाऐं** (Theory Exam) **ओपन बुक प्रणाली** से आयोजित की जा रही है।

उक्त परीक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं के संग्रहण के लिए आपको संग्रहण केन्द्र बनाया गया है। अतः संग्रहण केन्द्र के रूप में कार्यरत रहते हुए आपको कोविड–19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सख्ती के साथ निम्नानुसार दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा :–

1. संग्रहण केन्द्रो को दिनांक 13 मार्च, 2021 से दिनांक 15 मार्च, 2021 तक कार्यालयीन समय में खोला जाना अनिवार्य होगा।
2. परीक्षार्थी निर्धारित तिथियों में अपनी लिखित उत्तरपुस्तिकाओं को एक साथ संग्रहण केन्द्र पर जमा कर सकेंगे। आपके संग्रहण केन्द्र पर पंजीकृत परीक्षार्थीयों की पेपरकोडवार जानकारी आपको ईमेल पर प्रदान की जावेगी।
3. उत्तरपुस्तिकाओं के संग्रहण एवं प्रेषण के संबंध में विश्वविद्यालय की परीक्षा मूल्यांकन शाखा द्वारा जारी किये गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होगा। संग्रहण केन्द्र के द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं को परीक्षार्थी से पेपरकोड वाईस एकत्रित कर गोपनीयता एवं सुरक्षा के साथ व्यक्तिगत रूप से **अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम** से विश्वविद्यालय को प्रेषित करना होगा।
4. परीक्षार्थी का संग्रहण केन्द्र वही होगा जिस संबंद्ध अध्ययन संस्था (Associate Study Institute)/विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग (University Teaching Department)/विश्वविद्यालय परिसर (University Campus) से परीक्षार्थी का परीक्षा फार्म भरा गया है/अग्रेषित हुआ है।
5. परीक्षार्थी को लिखित उत्तरपुस्तिका संग्रहण केन्द्र पर जमा करने की पावती अनिवार्य रूप से दी जाएं। परीक्षार्थी चाहें तो अपनी उत्तरपुस्तिका की स्केन कापी/फोटो कापी भी रख सकता है।
6. उत्तरपुस्तिका संग्रहण केन्द्रों पर राज्य शासन द्वारा कोविड–19 की परिस्थतियों के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये निर्देश के अनुसार सामाजिक दूरी (Social Distance) की सावधानियां, सेनेटाईजर, थर्मल स्केनिंग, फेस मॉस्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं।
7. उत्तरपुस्तिका संग्रहण केन्द्रो को उक्त समस्त कार्य के निष्पादन हेतु अनुदान के रूप में निम्नानुसार राशि का भुगतान किया जाएंगा :–
   - 100 परीक्षार्थी तक : रूपये 2500/–
   - 100 से अधिक परीक्षार्थी : रूपये 5000/–

   उपरोक्तानुसार देय अनुदान राशि के समायोजन हेतु निर्धारित उपयोगिता प्रमाण–पत्र में वांछित जानकारी भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त अनुदान राशि के अतिरिक्त उत्तरपुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय प्रेषित करने हेतु स्पीड पोस्ट पर हुए वास्तविक व्यय की मूल रसीद प्रस्तुत करने पर अलग से भुगतान किया जाऐगा।

(कुलसचिव)

बी–38, विकास भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.पी. नगर, जोन–1, भोपाल (म.प्र.)–462011, फोन (0755) 2551642 फैक्स : (0755) 2551641
B-38, Vikas Bhawan, Press Complex, M.P. Nagar, Zone-1, Bhopal (M.P.) 462011, Phone-0755-2551642, Fax : 2551641
Website – www.mcu.ac.in

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक १५, १९९० द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION

(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/परीक्षा–1/दिस. 2020–21/1081 भोपाल, दिनांक 22/02/2021

प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक कुलपति, कुलसचिव को सूचनार्थ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक विभाग/समस्त परिसर प्रभारी भोपाल/नोएडा/ खण्डवा/ रीवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. निदेशक, ए.एस.आई. को सूचनार्थ। कृपया सभी संबंद्ध अध्ययन संस्थाओं को अवगत करायें।
4. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय/परीक्षा/नामांकन/मूल्यांकन/उपाधि शाखा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संचालक, एम.पी ऑनलाईन लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त संचालक/प्रभारी, संबंद्ध अध्ययन संस्था को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(कुलसचिव)